

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S.B. Civil First Appeal No.201/2019

**माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी**

अपीलार्थी सीताराम उपस्थित।

**:: आदेश दिनांक :: 18.2.2019**

प्रत्यर्चीगण को नोटिस जारी किए जावे।

अपीलार्थी के अधिवक्ता एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश किये जाने पर प्रत्यर्चीगण को आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किये जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)  
न्यायाधिपति